

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-मु0अ0-4 (मु0)-उ0 यो0-20-23/2023 - 6434  
प्रेषक,

/पटना, दिनांक- 19/12/2023

संजय दूबे, भा0प्र0से0  
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)  
बिहार, पटना।

विषय:- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना अन्तर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में 11 पथों के उन्नयनार्थ स्तम्भ-6 में अंकित लम्बाई (कि0मी0/मी0) एवं स्तम्भ-11 में उन्नयनार्थ तथा पंचवर्षीय अनुरक्षण सहित अंकित राशि पर योजनावार जिनकी कुल राशि रू0 10183.58600 लाख रुपये (एक सौ एक करोड़ तिरासी लाख अनठावन हजार छः सौ रुपये) मात्र है, पर योजनावार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना अन्तर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों अन्तर्गत 11 पथों के उन्नयनार्थ समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिसकी अनुमोदित राशि 05 से 15 करोड़ के बीच में है पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है जिनके लिए स्तम्भ 07, 08 एवं 10 में अंकित कुल राशि 9490.55500 लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि रू0-693.03100 लाख (स्तम्भ-09) है इस प्रकार कुल राशि 10183.58600 लाख मात्र है पर विधिवत योजनावार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

Sl. No.	Name of Division	Block	Project ID	Road Name	Pavement Length (in Kms.)	Cost of Upgradation/ Strengthening of road portion (in Lakhs)	Cost of bridge (in Lakhs)	Cost of 5-years Maintenance (in Lakhs)	Administrative fund and Contingency Cost (In Lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs) (Col. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Araria	Jokihat	N212060002034	Rani - Mehadi Nagar	7.57	575.2500	-	48.42400	19.91500	643.5890
2	Forbisganj	Raniganj	21206112057	PMGSY Bistoria Jagta Path to Bhatta Tola	5.358	378.7070	829.5400	Part A Road-48.060 Part B Bridge-9.060 Total-57.120	40.83400	1306.2010
3	Kishanganj-2	Pothiya	21205902059	L085-T04 to Chhatargachh colony (TRACK85)	4.927	659.5300	-	36.62300	22.40700	718.5600
4	Jaynagar	Babubarhi	NEA22000111	Barail Barhara - Andharatharhi	7.25	1049.8100	-	72.74000	36.49000	1159.0400
5	Baisi	Baysi	21105408040	Anwar chowk se Bhaura pul	7.26	1080.8520	-	87.81400	37.98200	1206.6480

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

Sl. No.	Name of Division	Block	Project ID	Road Name	Pavement Length (in Kms.)	Cost of Upgradation/ Strengthening of road portion (in Lakhs)	Cost of bridge (in Lakhs)	Cost of 5-years Maintenance (in Lakhs)	Administrative fund and Contingency Cost (In Lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs) (Col. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Dhamdaha	Dhamdaha		L042-L043 To Satni and Bridge of size-5x18.75 (Bridge Cost-731.587)	6.135	483.7070	727.6430	Part A Road-60.248 Part B Bridge-3.944 <b>Total-64.192</b>	41.45400	1316.9960
7	Purnea	Kasba		Fatehpur NH-57 To Ujjiyarpur Ghorghat	3.9	576.4510	-	47.33800	20.27300	644.0620
8	Hathua	Hathua	31407108018	Hathua to Bari Ishar	5.800	490.7600	-	62.06000	17.96000	570.7800
9	Siwan-2	Nautan	31406713022	Mishrauli To Shahpur with Construction of HL RCC Bridge at Ch. 2+220 km (length-30.22m)	2.750	354.2700	348.4800	Part A Road-25.89 Part B Bridge-1.81 <b>Total-27.7</b>	23.73000	754.1800
10	Siwan-2	Darauli	N314067024003	CMDG Road Kashila to Kasmaul	6.850	557.5700	-	75.32000	20.57000	653.4600
11	Bagaha-2	Bhitaha	31809108016	Repair of road from Nawganwa Bridge to Muradh P.P. Dam	6.800	1058.2800	-	113.70000	38.09000	1210.0700
<b>Total</b>					<b>64.600</b>	<b>7265.18700</b>	<b>1905.66300</b>	<b>693.03100</b>	<b>319.70500</b>	<b>10183.58600</b>

- मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उपशीर्ष 00 103- ग्राम विकास -0121-मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अधीन मुख्य योजना शीर्ष 4515 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 500 करोड़ रु० का बजट उपबंध प्राप्त है। वित्त विभाग के निर्गत संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका-11 के अनुसार उन्नयनार्थ Bank of Sanction की राशि के अन्तर्गत है।
- मांग संख्या-37 बजट शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु, उपमुख्य शीर्ष- 04-जिला तथा अन्य सड़कें, लघु शीर्ष -105 रख-रखाव तथा मरम्मत, उपशीर्ष-0001 ग्राम सड़क- अन्य रख-रखाव व्यय, विषय शीर्ष -2702 अनुरक्षण एवं मरम्मत, विपत्र कोड-37-3054041050001 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित किया जायेगा जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4000 करोड़ रु० का बजट उपबंध प्राप्त है। वित्त विभाग के निर्गत संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका-11 के अनुसार पंचवर्षीय अनुरक्षण हेतु उपलब्ध Bank of Sanction की राशि के अन्तर्गत है।
- कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगें।

6




5. मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत MIBD आधारित ई-निविदा से आमंत्रित कार्य की निविदा के निष्पादनोपरान्त कार्य का क्रियान्वयन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
6. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या- मु0अ0-4 (मु0)-विविध कार्य-06-126/2023 में दिनांक 23.11.2023 को प्राप्त है।
7. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की योजनावार प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार विभागीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक-16.12.2023 को संचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-उ0यो0-20-23/2023 में अनुमोदन प्राप्त है।
8. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
9. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद, दर एवं मात्रा की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
10. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य कार्यक्रम / शीर्ष से अच्छादित नहीं हो।
11. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
12. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
13. वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों एवं समय-समय पर निर्गत निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
17. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।

2


18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।  
आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- मु0अ0-4 (मु0)-उ0यो0-20-23/  
2023 के पृ- 73/टि0 पर दिनांक- 11.12.2023 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

  
(संजय दूब)

विशेष सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0-4 (मु0)- उ0यो0-20-23/2023-6434 /पटना, दिनांक- 19/12/2023  
प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
19/12/2023  
विशेष सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0-4 (मु0)- उ0यो0-20-23/2023-6434 /पटना, दिनांक- 19/12/2023  
प्रतिलिपि- माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, अपर  
मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय  
शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित  
जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त, /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार,  
पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता- 2, 3 एवं 4, पटना  
ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक  
अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0  
नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट  
पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
19/12/2023  
विशेष सचिव